न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2023 राजस्व अपील

1. मुरारीलाल पुत्र घीस्या जाति मीना निवासी बाढ बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 31.08.2018 उप तहसीलदार बहरावण्डा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मुरारी मुकदमा नम्बर 245/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांकः 29.04.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट की विधिवत तामील हुये बिना एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत व निर्णय नहीं होते हुये भी अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में 90 दिवस के कारावास व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 31.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय जेर अपील पारित कर अपीलान्ट को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान के 50 गुणा जुर्माने की सजा आरोपित की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट का किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अपीलान्ट का पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है। अपीलान्ट की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्ट ने ग्राम बाढ बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा स्थित भूमि खसरा नम्बर 96 पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है, ना ही अपीलान्ट शपथकर्ता उक्त चरागाह भूमि पर भविष्य में कोई अतिक्रमण करेगा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम बाढ बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 96 रकबा 0.01 है. पर पत्थर डालकर एवं 0.05 है. पर बाजरे की काश्त कर कुल 0.06 है. पर अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा, पेनल्टी व बेदखली से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम बाढ बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 96 रकबा 0.06 है. पर अतिक्रमण किया जाना व्यक्त करने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने का अनुरोध करने पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम बाढ बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 96 रकबा 0.06 है. पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं होने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत् प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 31.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठि लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.07 19:21.09 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा